# षोडश बिहार विधान सभा

## नवम् सत्र

## ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-20.03.2018 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

| क्र० सं० | सदस्य का नाम | विषय | विभाग |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव, स०वि०स०<br>श्री जयवर्धन यादव उर्फ बच्चा यादव, स०वि०स०<br>श्री सीताराम यादव, स०वि०स०<br>श्री नीरज कुमार, स०वि०स०<br>श्री राहुल तिवारी, स०वि०स०<br>श्री अनिल कुमार यादव, स०वि०स० | "बिहार में श्रमिकों का निबंधन करने के बाद तीन वर्ष की सदस्यता पूरी करने पर 39,000 की अनुदान राशि दी जाती है । मुजफ्फरपुर जिला में लगभग 22,000 श्रमिक निबंधित है, जिनका निबंधन लगभग छः वर्ष पूर्व हुआ था लेकिन अभी तक उन्हें योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है । इस तरह निर्माण मजदूरों के हितार्थ योजना धरातल पर दम तोड़ रही है । उनकी दुर्घटना मृत्यु पर 1,00,000/- रूपया एवं स्वाभाविक मृत्यु पर 30,000/- रूपया मृतक के आश्रित को दिया जाना है, जबकि लगभग 06 वर्षों से मुजफ्फरपुर में हजारों आवेदकों को आज तक मुआवजा राशि नहीं दिया गया है ।<br>अतः उपरोक्त वर्णित श्रमिकों की मांग पर हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।" | श्रम संसाधन |

| क्र० सं० | सदस्य का नाम | विषय | विभाग |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | श्रीमती लेशी सिंह, स०वि०स०<br>श्री श्याम रजक, स०वि०स०<br>श्रीमती सुनीता सिंह चौहान, स०वि०स०<br>श्रीमती बीमा भारती, स०वि०स०<br>श्री मुजाहिद आलम, स०वि०स०<br>श्रीमती अरूणा देवी, स०वि०स०<br>श्री निरंजन कुमार मेहता, स०वि०स० | "वर्ष 2017 में राज्य के 19 जिले पूर्णियां, सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिम चम्पारण, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, अररिया, किशनगंज, कटिहार एवं सिवान में भीषण बाढ़ के कारण फसल की बर्बादी हुई तथा 3,96,721 गृहक्षति हुआ तथा 373 पशुओं की मृत्यु हुई ।<br>19 जिले में कुल बाढ़ प्रभावित परिवारों की संख्या-38,23,881 थी, जिसमें अबतक मात्र 34,18,389 बाढ़ प्रभावित परिवारों के खाते में 6-6 हजार की राशि स्थानान्तरित की गई है एवं 4,05,492 लाभार्थियों का पैसा विभिन्न बैंकों में पड़ा हुआ है । 19 जिलों में फसलक्षति के लिए 92093.5339 लाख करोड़ रूपयों का वितरण किसी भी जिला में नहीं हो पाया है । बाढ़ के दौरान कटाव के कारण विस्थापित हुये 5 हजार से अधिक परिवारों को पुनर्वासित नहीं किया जा सका है । बाढ़ आपदा प्रबंधन मानक संचालन प्रक्रिया के तहत किसान क्रेडिट धारकों को ऋण उपलब्ध कराया जाना था तथा फसल बीमा के लाभ का शीघ्र भुगतान किया जाना था, जिसके लाभ से किसान वंचित हैं ।<br>अतएव बाढ़ पीड़ित परिवारों के गृहक्षति, पशुक्षति, फसलक्षति तथा बाढ़ से विस्थापितों को पुनर्वासित करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।" | आपदा प्रबंधन<br>कृषि |

**राम श्रेष्ठ राय**
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-14/18- 1519-1529 / वि०स०, पटना, दिनांक- 19 मार्च, 2018 ई० ।

प्रतिः- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / श्रम संसाधन विभाग / आपदा प्रबंधन विभाग एवं कृषि विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

19/3/18

(राजकुमार रजक)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-14/18- 1519-1529 / वि०स०, पटना, दिनांक- 19 मार्च, 2018 ई० ।

प्रतिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

19/3/18

(राजकुमार रजक)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना

19/3/18